

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

: अधिसूचना :

अधि०सं०— मु०अ०(मो०)—361/2000-01 अंश-I— /राँची, दिनांक—

1. राँची शहरी क्षेत्र के निवासियों को पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में तीन जलाशय यथा— 1. काँके डैम, 2— हटिया डैम तथा 3— गेतालसूद डैम उपलब्ध है। इन तीनों जलाशयों से पेय जल की आपूर्ति की जाती है तथा गेतालसूद डैम से बिजली का उत्पादन भी होता है परन्तु इनमें से किसी भी जलाशय से सिंचाई नहीं की जाती है।
2. दो जलाशयों यथा— काँके डैम एवं हटिया डैम का पूर्ण रख-रखाव पेय जल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जाता है, परन्तु गेतालसूद जलाशय योजना का रख-रखाव, सम्पोषण एवं मरम्मति का कार्य किस विभाग द्वारा किया जायेगा इस संबंध में संशय की स्थिति बनी रहती है।
3. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि चूँकि गेतालसूद जलाशय योजना के जल का उपयोग केवल पेय जल एवं स्वच्छता विभाग तथा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाता है, ऐसी स्थिति में गेतालसूद डैम की मरम्मति, रख-रखाव एवं जीर्णोद्धार का कार्य पेय जल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कराया जायेगा तथा पूर्व की भाँति इस पर होने वाले व्यय का एक अंश पूर्व निर्धारित अनुपात में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा।
4. इस निर्णय पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची एवं माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- मु०अ०(मो०)-361/2000-01 अंश-I-

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राज्य के असाधारण अंक में सी०डी० के साथ प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- मु०अ०(मो०)-361/2000-01 अंश-I-

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- मु०अ०(मो०)-361/2000-01 अंश-I-

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- मु०अ०(मो०)-361/2000-01 अंश-I- 346

/राँची, दिनांक- 09.12.16

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर/उत्तरी छोटानागपुर/उपायुक्त, राँची/अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची/अभियंता प्रमुख, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख- I एवं II, जल संसाधन विभाग, राँची/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा/राँची कोषागार, राँची/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/जन सूचना कोषांग, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव